(1)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये
Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

नि.ग. -158- II -16

श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1. रेखा भटनागर पत्नी स्व. किशोर भटनागर उम्र–52 वर्ष
2. पियूष भटनागर पुत्र स्व. किशोर भटनागर उम्र–23 वर्ष

निवासीगण–पुरानी टेहरी टीकमगढ़ म0प्र0

.........पुनरीक्षणकर्ता गण

श्री पी. के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 14-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-1-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. महावीर प्रसार जैन आत्मज अयोध्या प्रसाद जैन निवासी– कटरा बाजार टीकमगढ़ म0प्र0
2. सुरेश चन्द्र जैन आत्मज हरिश्चन्द्र जैन, निवासी–ताल दरवाजा टीकमगढ़ म0प्र0

...........अनावेदकगण

14-1-2016

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक–04.11.2015 सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख टीकमगढ़ (म.प्र.)

महोदय,

श्रीमानजी के समक्ष आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, आवेदक सर्वे नं. 510 ग्राम टीकमगढ़ खास तहसील व जिला टीकमगढ़ का अभिलिखित भूमि स्वामी है। अनावेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक से मिलकर विधि विरूद्ध तरीके से बिना मेडिया कृषकों की एवं आवेदक को सूचना दिये सर्वे क्रमांक–503, 508, 509, 511 का सीमांकन दिनांक 4.11.2015 को कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी आवेदक को दिनांक 17.12.2015 को उस वक्त हुई जब आवेदक द्वारा मौके पर आकर कब्जा लेने हेतु धमकी दी तथा आवेदक द्वारा तहसील कार्यालय में जानकारी एवं दिनांक 17.12.2015 को ही

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

निगरानी–158–दो / 2016

रेखा भटनागर विरूद्ध महावीर प्रसाद जैन

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–07–18	प्रकरण प्रस्तुत 2/ दिनांक 03–07–2018 को आवेदक अभिभाषक श्री पी.के. तिवारी कि उपस्थिति में प्रकरण सुना गया । अनावेदक क्र. 1 महावीर प्रसाद जैन के अभिभाषक श्री रविन्द्र राजपूत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अनावेदक क्र.2 सुरेश चन्द्र जैन के विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही है। 3/ सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख का प्रतिवेदन देखा, जिसके अनुसार दिनांक 04.11.2015 द्वारा सर्वे क्रमांक 503, 508, 509 एवं 511 का सीमांकन पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया है । सीमांकन प्रतिवेदन में निगरानीकर्ता रेखा भटनागर एवं पियूष भटनागर की भूमि सर्वे क्रमांक 510 का उल्लेख नहीं है। प्रतिवेदन में यह भी अंकित नहीं है कि निगरानीकर्ता द्वारा किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । 4/ भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार प्राप्त है । अनावेदक क्रमांक 2 के	

19.7.18

द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन कराया गया है । दिनांक 04.11.2015 के सीमांकन से निगरानीकर्ता पर प्रथम दृष्टया कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखाई देता है ।

5/ अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । निगरानीकर्ता अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है ।

सदस्य 19.7.18

रीडर